

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

रणजीतकौर वगैरा बनाम हरबंश कौर वगैरा

किस्म मुकदमा:- वाद पत्र 88, 188 RTA

नम्बर 187/2024

उपस्थित अधिवक्ता :- श्री सन्दीप सिंह सिद्धू

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
3.5.24	अधिवक्ता वादी की ओर से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 RTA पेश किया। सिगेदार से रिपोर्ट हो चुकी है। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन करवाई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.05.2024 को पेश हो।	
07.05.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण ने सार्पना फॉ अ. मा 83 नियम 1(3) सीपीसी पेश कर वाद पत्र में वादीगण की कबि भूमि का पूरा विवरण दर्ज नहीं होने के कारण उक्त वाद का नया वाद प्रस्तुत करने की अडुमति के साथ वापस लेने का निर्दिष्ट किया है। जो स्वीकार कर वकील वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88/188 RTA को खारिज किया जाता है एवं नया दावा पेश करने की अडुमति दी जाती है। पत्रावली फौसल बुझार नम्बर से कम होकर खारिज फर्द हो।</p> <p>निर्णय से न्यायालय सुनाया गया।</p>	

